कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 435/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 01.12.2025

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 01.12.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी-

01. थाना सिधारी पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त को अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण

दिनांक **01.12.2025** को उ0नि0 **धर्मेन्द्र शर्मा**, चौकी प्रभारी मूसेपुर थाना सिधारी आजमगढ़, मय पुलिस टीम हे0का0 मनोज यादव, का0 चन्द्रेश कुमार व का0 अंकित सिंह द्वारा **बेलइसा पुल रेलवे क्रॉसिंग** के पास मुखबिर की सूचना पर समय **01:10 AM** पर अभियुक्त **कृष्णकान्त उर्फ रविकान्त पुत्र स्व. लक्ष्मीकान्त**, निवासी गजहड़ा थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 25 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से:

- **01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर**
- **01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर** बरामद किया गया।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 498/2022 धारा 379/411/414 भादवि, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 502/2024 धारा 115(2), 324(4), 351(), 352 बीएनएस, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 05/2023 धारा 379/411 भादवि, जीआरपी थाना आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 **510/25**, धारा **3/25 आर्म्स एक्ट**, थाना सिधारी, आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 **धर्मेन्द्र शर्मा**, चौकी प्रभारी मूसेपुर, थाना सिधारी, आजमगढ़
2. हे0का0 **मनोज यादव**, थाना सिधारी, आजमगढ़
3. का0 **चन्द्रेश कुमार**, थाना सिधारी, आजमगढ़
4. का0 **अंकित सिंह**, थाना सिधारी, आजमगढ़

02.थाना – जहानागंज: चोरी के सामान व नकदी के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व घटना का विवरण

वादी **चन्द्रदेव राय पुत्र स्व. रामजनम राय**, निवासी ग्राम गोधौरा, थाना जहानागंज द्वारा दिनांक **21.10.2025** को सूचना दी गई कि अज्ञात चोरों ने उनके भाई के मकान का ताला, दीवार व दरवाजे तोड़कर घर के अंदर रखा कीमती सामान—सोने की चेन, झुमका, तिलक के चाँदी के सामान, गैस सिलेंडर, सिलाई मशीन एवं अन्य घरेलू वस्तुएँ चोरी कर ली हैं।

तहरीर के आधार पर **मु0अ0सं0 323/25 धारा 305 BNS** बनाम अज्ञात पंजीकृत कर **उ0नि0 अजय निषाद** द्वारा विवेचना की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण

दिनांक **01.12.2025** को उ0नि0 **अजय निषाद**, मय टीम हेड कांस्टेबल गोविन्द सिंह, का0 शिवम चौधरी, का0 हरेन्द्र सिंह द्वारा अकबेलपुर क्षेत्र में रात्रि गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि गोधौरा चोरी कांड से संबंधित अभियुक्त सोनापुर गांव के पास मौजूद है। सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम मौके पर पहुँची, जहाँ ट्रांसफार्मर के पास खड़े संदिग्ध व्यक्ति को घेराबंदी कर समय **01:30 बजे** हिरासत में लिया गया। उसने अपना नाम–

पप्पू राय पुत्र लालजी राय, निवासी गोधौरा, थाना जहानागंज, उम्र 45 वर्ष बताया।

अभियुक्त की तलाशी में उसके पास से

- **₹7,500/- (500 रुपये के 15 नोट)** बरामद हुए।

अभियुक्त की निशानदेही पर सोनापुर गांव स्थित एक खण्डहर कमरे से एक बोरी में छिपाया गया चोरी का सामान बरामद हुआ।

बरामद सामान

1. एक अदद छोटा सिलेंडर
2. दो अदद एल्युमिनियम भगौना
3. एक अदद स्टील की बाल्टी
4. एक अदद लोहे का तवा
5. एक अदद एल्युमिनियम कुकर
6. नकदी **₹7,500/-**

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त **पप्पू राय** ने जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि–

- वह अपने साथी **मोनू राजभर पुत्र दूधनाथ राजभर** (निवासी गोधौरा) एवं एक अज्ञात व्यक्ति के साथ चन्द्रदेव राय के बंद पड़े घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया था।
- घर की चाबी स्थान की जानकारी उसी ने दी तथा वह बाहर खड़ा होकर निगरानी करता रहा।
- चोरी किए सामान को बेचने के बाद उसे **₹20,000/-** हिस्सा मिला था, जिसमें से **₹7,500/-** शेष थे।
- शेष चोरी का सामान सोनापुर स्थित खंडहर कमरे में छिपाकर रखा गया था, जिसे वह मौके पर लेकर बरामद कराया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. **पप्पू राय पुत्र लालजी राय**, निवासी गोधौरा, थाना जहानागंज, उम्र 45 वर्ष

पंजीकृत अभियोग

1-मु0अ0सं0 323/25, धारा **305/331(4)/317(2) BNS**, थाना जहानागंज, आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 **अजय निषाद**, थाना जहानागंज
2. उ0नि0 **ओमप्रकाश यादव**, थाना जहानागंज
3. हे0का0 **गोविन्द सिंह**, थाना जहानागंज
4. का0 **शिवम चौधरी**, थाना जहानागंज
5. का0 **हरेन्द्र सिंह**, थाना जहानागंज

03. थाना पवई पुलिस को गैंगस्टर एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी।

पूर्व की घटना का विवरण

वादी **प्रदीप कुमार मिश्रा**, थाना प्रभारी निरीक्षक पवई द्वारा दाखिल तहरीर एवं **श्रीमान् जिला अधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट** के आधार पर दिनांक **01.12.2025** को थाना पवई पर— **मु0अ0सं0 324/25**
धारा **2(ख) की उपधारा (17) / 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम (यूपी गैंगस्टर एक्ट)** बनाम –

1. **दिनेश कुमार निषाद पुत्र संजय निषाद**, निवासी खुटहन ऊचैना, थाना खुटहन, जनपद जौनपुर
2. **तैय्यब पुत्र जोरार**, निवासी जागापुर, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़

3. **खलकु उर्फ मोहम्मद खालिद पुत्र जहीर**, निवासी जागापुर निजामपुर, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे की विवेचना **व0उ0नि0 गोपाल जी** द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण

आज दिनांक **01.12.2025** को व0उ0नि0 **गोपाल जी**, मय हमराह द्वारा अभियोग से संबंधित **वांछित अभियुक्त तैय्यब पुत्र जोरार, निवासी जागापुर थाना अहरौला** को **रैदा अंडरपास के पास से समय 05:30 बजे** कारण गिरफ्तारी बताते हुए **हिरासत पुलिस में लिया गया**। अभियुक्त का **चालान माननीय न्यायालय** किया गया।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 324/25, धारा **3(1), 2(ख) की उपधारा (17),** उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम, थाना पवई आजमगढ़ ।

अपराधिक इतिहास

1. **मु0अ0सं0 10/25**, धारा 3/5/8 गो-निरोध अधिनियम, थाना पवई, जनपद आजमगढ़
2. **मु0अ0सं0 47/22**, धारा 50/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम, थाना जैतपुर, जनपद अम्बेडकरनगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. व0उ0नि0 **गोपाल जी** थाना पवई, जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 **धर्मेन्द्र यादव** थाना पवई, जनपद आजमगढ़
3. का0 **अनुपम यादव** थाना पवई, जनपद आजमगढ़
4. का0 **अमित पाल** थाना पवई, जनपद आजमगढ़

मिशन शक्ति 5.0 के तहत परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई–किरण की बैठक आयोजित, आजमगढ़ पुलिस ने बिछड़े परिवार को मिलाया

➡ माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं आत्मनिर्भरता हेतु प्रारम्भ किए गए मिशन शक्ति विशेष अभियान फेज 5.0 को दिनांक 20 सितम्बर 2025 को शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर शुभारम्भ किया गया।

➡ जनपद आज़मगढ़ में इस अभियान को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण/नोडल अधिकारी मिशन शक्ति श्री चिराग जैन तथा पर्यवेक्षण अधिकारी/क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती आस्था जायसवाल के नेतृत्व में प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है।

नई–किरण/परिवार परामर्श प्रकोष्ठ की बैठक

➡ मिशन शक्ति 5.0 के तहत दिनांक 01.12.2025 को परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई–किरण की बैठक आयोजित की गई।

➡ कुल 02 पत्रावलियों में दोनों पक्षों को मिडिएशन हेतु नोटिस/फोन द्वारा बुलाया गया।

➡ 01 पत्रावली में दोनों पक्ष उपस्थित हुए, जिसमें अथक प्रयास के बाद आपसी समझौता कराया गया।

➡ उक्त विवाद में आवेदक की पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति से संबंध होना तथा मना करने पर भी न मानना विवाद का कारण था। प्रकोष्ठ द्वारा लगातार समझाकर दोनों पक्षों को सहमति पर लाया गया।

➡ नई–किरण परियोजना का उद्देश्य बिखरे हुए परिवारों में सद्भाव स्थापित कर उन्हें पुनः एक सूत्र में जोड़ना है, जिससे पारिवारिक न्यायालयों के कार्यभार में भी कमी आती है।

➡ शेष 01 पत्रावली में दोनों पक्षों को अगली तिथि हेतु पुनः सूचित कर मिडिएशन कराया जाएगा।

आज का कुल समझौता – 01

1. बृजेश कुमार प्रजापति, पुत्र स्व. धनई प्रजापति
निवासी– ग्राम बेहटा, थाना रानी की सराय, जनपद आज़मगढ़

बैठक में उपस्थित अधिकारी/काउंसलिंग टीम

डॉ0 उमेशचन्द्र पाण्डेय, काउंसलर

उ0नि0 सत्यनारायण यादव, प्रभारी परिवार परामर्श प्रकोष्ठ

उ0नि0 महेन्द्र प्रसाद तिवारी, प्रभारी परिवार परामर्श प्रकोष्ठ

उ0नि0 वरूणेश मिश्र, प्रभारी आर्थिक सहायता प्रकोष्ठ

महिला आरक्षी नेहा सिंह, परिवार परामर्श प्रकोष्ठ